न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/67/2021	08-10-2021	19-09-2022

01- कैलाश देवी पुत्री प्रभाती पत्नि रामप्रताप जाति अहीर निवासी ग्राम भूपसेडा तहसील बानसूर जिला अलवर

-: अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)
02- छंगा पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम भूपसेडा तहसील बानसूर जिला अलवर
बिमला देवी पत्नि अजय कुमार जाति अहीर निवासी ग्राम भूपसेडा तहसील बानसूर जिला अलवर
03- बिमला देवी पत्नि अजय कुमार जाति अहीर निवासी ग्राम भूपसेडा तहसील बानसूर जिला अलवर

-: असल रेस्पौडेन्टस

04- लक्ष्मण पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम भूपसेडा तहसील बानसूर जिला अलवर
05- भरपाई देवी प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम भूपसेडा तहसील बानसूर जिला अलवर

-: तरतीबी रेस्पौडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर दिनांक 07.07.2017 नामान्तकरण संख्या 639 ग्राम भूपसेडा, तहसील बानसूर जिला अलवर।

उपस्थितः-

01-श्री अनिल गुप्ता -वकील अपीलाण्टस
02- श्री दीपक मीना - रेस्पोडेन्टस संख्या 1
03- श्री ओमप्रकाश यादव - रेस्पोडेन्टस संख्या 2-5

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 07.07.2017 नामान्तकरण संख्या 639 ग्राम भूपसेडा, तहसील बानसूर जिला अलवर। दर्ज कर निर्णित किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

वकील अपीलांटस उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि इन्तकालधीन आराजी हम मिन अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता प्रभाती की खातेदारी काश्तकार की थी, जो आराजी दादालाई आराजी है, मिन अपीलान्ट के पिता प्रभाती की मृत्यु होने पर मिन अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बहिस्से बराबर प्राप्त हुई एवं मौके पर काबिज काश्तकार है, लेकिन असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लक्ष्मण ने बाला–बाला तरीके से मिन अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 का हक व हिस्सा हडप करने की नियत से अपने नाम विरासत नामान्तकरण संख्या 244 को स्वीकृत कराकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करा लिया गया जिस अमल के आधार पर असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा इन्तकालधीन आराजी का बेचान बिला कब्जा असल रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को कर दिया और बिना कब्जा व मौके की जॉच किये ही कथित बयनामा के आधार पर असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 639 दिनाक 07.07.2017 असल रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक में स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया। अपीलाधीन आराजी मिन अपीलान्ट व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के पिता प्रभाती की खातेदारी काश्तकारी की आराजी थी, जो मिन अपीलान्ट के पिता प्रभाती को विरासत से प्राप्त हुई थी जो दादालाई की आराजी थी। जिसमे मिन अपीलान्ट व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 का हक व हिस्सा निहित था, तथा मिन अपीलान्ट व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के पिता प्रभाती का स्वर्गवास होने के उपरान्त अपीलान्ट व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 बहिस्से बराबर काबिज काश्तकार है, एवं मिन अपीलान्ट का मौके पर 1/4 हिस्से पर काबिज है, लेकिन असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जो एक तेज व चालाक किस्म का व्यक्ति है, जिसके द्वारा मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 का हक व हिस्सा हडप करने की नियत से बाला–बाला तरीके से मिन अपीलान्ट के पिता प्रनाती की विरासत का नामान्तकरण संख्या 244 अपने व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के हक में स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करा दिया गया एवं उक्त राजस्व रिकार्ड की आड में बिना किसी हक व अधिकार के बाला–बाला तरीके से असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा इन्तकालधीन आराजी का बयनामा असल रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक में करा दिया गया एवं असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मौके व कब्जा के बिना कोई जॉच पडताल किये ही तथाकथित बयनामा के आधार पर असल रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक में विरासत नामान्तकरण संख्या 639 दिनाक 07.07.2017 स्वीकृत करा कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया जबकि असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ऐसा करने का कोई कानूनन हक व अधिकार हासिल नही है। इन्तकालधीन आराजी जो मृतक प्रभाती की खातेदारी की आराजी थी जिसमें मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 पुत्री व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 पुत्र है, एवं इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नही है, तथा मिन अपीलान्ट व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 का अपीलाधीन आराजी में व हिस्से बराबर यानि 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, हिस्सा जन्म से ही है, एवं सभी वहिस्से बराबर मौके पर काबिज व काश्तकार है। एवं अपने–अपने हिस्से पर मौके पर काविज होकर काश्तकारी कर रहे है। इस प्रकार असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा विना मौके व कब्जा की जॉच किये ही नामान्तकरण जो स्वीकृत किया गया है निरस्त किये जाने योग्य है। बयनामा के आधार पर विकय होने पर दर्ज नामान्तकरण की स्वीकृति का क्षैत्राधिकार संबंधित ग्राम पंचायत को होता है, अगर ऐसा नामान्तकरण तहसीलदार के यहा पेश होता है, तो तहसीलदार रजिस्टर में दर्ज करके

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

कार्यवाही हेतु संबंधित ग्राम पंचायत को भेजा जाना चाहिए था, अगर ग्राम पंचायत 45 दिन के अन्दर नामान्तकरण निर्णित नही करती है, तो 45 दिनाक के पश्चात ही तहसीलदार द्वारा निर्णत किया जाता है। तहत अदालत द्वारा जानबुझकर विना क्षैत्राधिकार उक्त नामान्तकरण को स्वीकार किया है, जो राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन संख्या एफ.5 (2) रेवेन्यू/जीआर 4/80/35 दिनाक 04.09.1982 जो राजस्थान के गजट पार्ट 4 सी दिनाक 30.09.1982 से स्पष्ट है, कि तहत अदालत ने विना कोई जॉच किये मनमाने तरीके से रेस्पोडेन्ट से साज-बाज होकर गलत तौर पर बयनामा दिनाक 30.06.2017 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 639 दिनाक 07.07.2017 स्वीकृत किया गया है। अपीलाधीन आराजी का नामान्तकरण स्वीकृत होने से मिन अपीलान्ट के हक व हकूक जायल होते है, एवं असल रेस्पोडेन्ट संख्या 3 नामान्तकरण की आड में विवादित आराजी को खुर्द-वुर्द करने पर उतारू है एवं मिन अपीलान्ट को उसके हिस्से की आराजी में उपयोग व उपभोग में रूकावट व मजाहमत पैदा कर रहा है। अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित आदेश नामान्तकरण संख्या 639 दिनाक 07.07.2017 को अपास्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तकरण संख्या 639 में वर्णित आराजी खसरा न0 990 रकबा 2.21 है0 आराजी खातेदार छंगा पुत्र प्रभाती हिस्सा 1/24 दर्ज रिकार्ड है, खातेदार द्वारा अपनी आराजी को जर्ये रजिस्टड बयनामा के बिमला देवी पत्नि अजय कुमार हिस्सा 1/24 बेचान किया गया है, मुताबिक रजिस्टड बैयनामा के आधार पर तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण संख्या 639 दिनाक 07.07.2017 को दर्ज कर दिनाक 17.07.2017 को निर्णित किया गया है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा विधिवत जॉच कर विधिवत निर्णय पारित किया गया है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्टस/रेस्पोडेन्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि इन्तकालधीन आराजी मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता प्रभाती की खातेदारी काश्तकार की थी जो आराजी दादालाई आराजी है, मिन अपीलान्ट के पिता प्रभाती की मृत्यु होने पर मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बहिस्से बराबर प्राप्त हुई एवं मौके पर काविज काश्तकार है, लेकिन असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लक्ष्मण ने वाला-वाला तरीके से मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 का हक व हिस्सा हडप करने की नियत से अपने नाम विरासत नामान्तकरण संख्या 244 को स्वीकृत कराकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करा लिया गया जिस अमल के आधार पर असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के के द्वारा इन्तकालधीन आराजी का बेचान बिला कब्जा उसल रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को कर दिया और विना कब्जा व मौके की जॉच किये ही कथित बयनामा के आधार पर असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 639 दिनाक 07.07.2017 असल रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक में स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहत अदालत तहसीलदा बानसूर द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 639 निर्णय दिनाक 07.07.2017 वाके ग्राम भूपसेडा के विरूद्व

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

पेश की गयी है, लेकिन अपील में पूर्व में निणित नामान्तकरण संख्या 244 का केवल उल्लेख अंकित किया गया है, के कंम में कोई रिलिफ न्यायालय हाजा से नही चाही गयी है। जबकि नियमानुसार पूर्व में निणित नामान्तकरण संख्या 244 की भी अपील पेश की जानी चाहिऐ थी। जो नही की गयी है, नामान्तकरण संख्या 639 में वर्णित आराजी खसरा न0 990 रकबा 2.21 है0 आराजी खातेदार छंगा पुत्र प्रभाती हिस्सा 1/24 दर्ज रिकार्ड है, खातेदार द्वारा अपनी आराजी को जर्ये रजिस्टड बयनामा के बिमला देवी पत्नि अजय कुमार हिस्सा 1/24 बेचान किया गया है, मुताबिक रजिस्टड बैयनामा के आधार पर तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण संख्या 639 दिनाक 07.07.2017 को दर्ज कर दिनाक 17.07.2017 को निर्णित किया गया है। अपीलाण्ट की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया जिससे उसके कथनों की प्रमाणिकता सिद्ध हो सके। न्यायालय के विनम्र मत में पारित निर्णय न्यायोचित प्रकियानुसार है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नामान्तकरण संख्या 639 निर्णय दिनांक 07.07.2017 वाके ग्राम भूपसेडा तहसील बानसूर यथावतः रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19–09–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.9.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)